भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

**लोक सभा**

**अतारांकित प्रश्न संख्या 3487**

जिसका उत्तर, 16 मार्च, 2020/26 फाल्गुन, 1941 (शक) को दिया गया

**आवास ऋण बीमा**

3487. श्री वाई॰ देवेन्द्रप्पाः

श्री जी॰एम॰ सिद्देश्वरः

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या निजी तथा सरकारी क्षेत्र के बैंक सरकारी क्षेत्र तथा निजी क्षेत्र की बीमा कंपनियों की साझेदारी में आवास ऋण बीमा प्रदान कर रहे हैं, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या उपभोक्ताओं के लिए इसकी शर्तें इस प्रकार की होती हैं कि उनके द्वारा अपना आवास ऋण एक बैंक से दूसरे बैंक में स्विच करने की स्थिति में उनकी प्रीमियम की पूरी राशि खत्म हो जाती है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो आवास ऋण लेने वालों के हितों की रक्षा के लिए बैंकों तथा बीमा कंपनियों को अधिदेशित खंड क्या हैं, जबकि वे अपना आवास ऋण दूसरे बैंक/वित्तपोषण कंपनी में स्विच करते हैं?

**उत्तर**

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

**(क):** भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीएआई) ने सूचित किया है कि आईआरडीएआई (गैर-संबद्ध बीमा उत्पाद) विनियम, 2019 बीमाकर्ताओं को 'सामूहिक ऋण जीवन बीमा उत्पाद' दर्ज करने की अनुमति देता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बीमाकर्ता, नामतः भारतीय जीवन बीमा निगम और कुछेक निजी क्षेत्र के बीमाकर्ताओं ने ऐसी पॉलिसियों का शुभारंभ किया है। जीवन बीमाकर्ता एकल अथवा नियमित प्रीमियम का प्रभार लगा सकता है और ऐसे उधारकर्ताओं, जिन्होंने आवासीय ऋण सहित विभिन्न प्रयोजनों के लिए ऋण लिया हो, के जीवन के मृत्यु जोखिम को कवर करने के लिए इच्छुक बैंकों को ऐसे उत्पादों के अंतर्गत पॉलिसियां जारी करता है।

**(ख) और (ग):** आईआरडीएआई ने आवासीय ऋण उपभोक्ताओं, जो सामूहिक ऋण जीवन योजनाओं के सदस्य हैं, के हितों की रक्षा के लिए विनियम जारी किए हैं। आईआरडीएआई (गैर-संबद्ध बीमा उत्पादों) विनियम, 2019 के विनियम 19(ट) में यह उपबंध किया गया है कि सामूहिक पॉलिसी के अभ्यर्पण की स्थिति में, निधि आधारित सामूहिक पॉलिसियों को छोड़कर अन्य पॉलिसियों के विषय में बीमाकर्ता ऐसे अभ्यर्पण पर समूह के वैयक्तिक सदस्यों को एक वैयक्तिक पॉलिसी के रूप में जारी रखने के लिए एक विकल्प देगा तथा बीमाकर्ता/मध्यवर्ती, यदि कोई हो, ऐसे सदस्यों को सर्विसिंग प्रदान करने के लिए तब तक उत्तरदायी के रूप में जारी रहेंगे, जब तक उनका कवरेज समाप्त नहीं होता।

*****